न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू , जिला राज0

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल योगी आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 10/2022

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 29.12.2023

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जयपुर राज0

बनाम

1 राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन (विक्रेता एवं मालिक)

मैसर्स– राजेन्द्र कुमार पवन कुमार,

मैन मार्केट फागी, जिला जयपुर– 303005

2 पुलकित पाटोदिया (प्रोपराइटर)

मैसर्स– एस.के.फूड्स, प्लॉट नं0 796, बी, बी रोड नं0 4

वीकेआई एरिया, जयपुर– 302013

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

<u>निर्णय</u>

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0 द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है–

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.02.2022 को कार्यालस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर में कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए/नाटिफिकेशन 2011/440 दिनांक 26.07.2011 तथा संशोधित नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए / नोटिफिकेशन 2011/470 दिनांक 09.08. 2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉं प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है।

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.02.2022 को दोपहर 2.00 पी0एम0 पर मेसर्स– राजेन्द्र कुमार पवन कुमार, मैन मार्केट फागी पहुॅंचा। वहॉं यह राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र नेमीचन्द जैन उपस्थित थें। मैने अपना परिचय दिया एवं परिपत्र दिखाया तथा पूछने पर राजेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं के मैसर्स राजेन्द्र कुमार पवन कुमार, मैन मार्केट फागी का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। आवेदक खाद्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
दूदू

सुरक्षा अधिकारी ने श्री राजेन्द्र कुमार जैन से खाद्य सुरक्षा पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा। जिस पर उन्होने खाद्य पदार्थ विक्रय विक्रय रजिस्ट्रेशन एवं फर्म की जीएसटी की आरसी की छायाप्रति मौके पर ही प्रस्तुत की जो रिकार्ड मे संलग्न है।

3. यह कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेन्द्र कुमार पवन कुमार, मैन मार्केट, फागी पर विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु हल्दी पाउडर (टेलिफोन) के 500 ग्राम वजन वाले 60 सील्ड पालिपैकिट रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता की कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जॉच हेतु 4 सील्ड पालिपैकिट हल्दी पाउडर (टेलिफोन) 4X500 ग्राम खरीदकर उनकी किमत 400/– रूपये विक्रेता राजेन्द्र कुमार जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। उपस्थित गवाहान श्री पवन जैन एवं श्री संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद आवदेन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पार फार्म संख्या 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजेन्द्र कुमार जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता राजेन्द्र कुमार जैन को देकर प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए एवं फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा 4 सील्ड पालिपैकिट हल्दी पाउडर (टेलिफोन) 4X500 ग्राम को 4 गत्ते के पैकिटो मे अलग–अलग डालकर प्रत्येक पैकिट पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक ए एन–2471 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग –2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितिय की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नम्बर एएन--2471 नियमानुसार चारों नमूना भावों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दिक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भावों को अपने जाप्ते में लिया।

6 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को विक्रेता राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (टेलीफोन) 500 ग्राम मैसर्स एस.के.फूड्स, प्लॉट नं0 एफ--796--बी, रोड नं0 14, बी.के.आई. एरिया, जयपुर के अग्रिम खरीद बिल नं0 0731 दिनांक 14.01.2002 द्वारा खरीद होना बताया तथा मौके पर इस बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की जो संलग्न आवेदन है।

7 यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं0 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/165 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/614/एक्ट/2022/658 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया। पदार्थ हल्दी पाउडर (टेलिफोन) सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जाच रिपोर्ट एवं पत्र आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स – एस.के.फूड्स, प्लॉट नं0 एफ.796,बी, रोड नं0 14, वीकेआई इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर को पत्र कमांक 568 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा चाही गई सूचना बावत लिखा गया जिसके प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं फर्म की जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आरसी की छाया प्रतियॉं प्रस्तुत की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि उक्त केश में 1. राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र नेमीचन्द जैन (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स राजेन्द्र कुमार पवन कुमार, मैन मार्केट फागी, जयपुर 2. पुलकित पाटोदिया (प्रोपराईटर) मैसर्स एस.के.फूड्स, प्लॉट नं0 एफ–796, बी, रोड नं0 14, वीकेआई एरिया, जयपुर के द्वारा सब स्ट्रेण्डर्ड हल्दी पाउडर (टेलिफोन) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर गैरसायलान को तलब किया गया। आज गैरसायलान अनुपस्थित। पुनः आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व में अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जा चुका है। गैरसायलान द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री की रिपोर्ट नम्बर एल.एस./614/एक्ट/2022/658 दिनांक 03.03.2022 की टेस्ट रिपोर्ट अनुसार हल्दी पाउडर (टेलिफोन ब्राण्ड) सब स्टैण्डर्ड पाया गया। इस रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 की अपील नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान को टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 की रिपोर्ट सब स्टैण्डर्ड होना स्वीकार है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि मौके पर विक्रय हेतु पाये गये हल्दी पाउडर (टेलिफोन) के 500 ग्राम वजन वाले 60 सील्ड पालिपैकिट रखे हुए थे में से विक्रय किये गये 4 पैकिट सील्ड पालिपैकिट हल्दी पाउडर (टेलिफोन) 4X500 ग्राम जो विक्रय किया गया है वह सब स्टैण्डर्ड है और अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार जैन ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके एवं एस.के. फूड्स द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर विक्रय हेतु एकल व्यापारी को बेचकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। एस.के.फूड्स द्वारा ही माल विक्रय हेतु बेचा गया है इसके प्रमाण हेतु पत्रावली में एसके फूडस का केश मीमों खरीद बिल नं0 0731 दिनांक 14.01.2002 पत्रावली में उपलब्ध है। पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थी द्वारा मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ का बार–बार विक्रय किया गया है अथवा पूर्व में विक्रय

किया गया हो और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पूर्व में शास्ति से दण्डित किया गया हो। अतः विचारण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम अप्रार्थी संख्या 01 के कृत्य के लिय राशि रूपये 2000/-(अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) एवं अप्रार्थी संख्या 02 के कृत्य के लिए राशि रूपये 10000/-(अक्षेर रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें। निर्धारित अवधि में शास्ति की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी से कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे/लाइसेंस स्थगित किये जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हों।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला दूदू, राज0

Scanned with OKEN Scanner